माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

सं.अ.सं. / क्रमांक / 362 / 2020 दिनांक 07 / 11 / 2020

परिपत्र

(नियम विरूद्ध प्रचार / विज्ञापन किए जाने के संबंध में)

यह देखने में आया है कि संबद्ध अध्ययन संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय के रेग्यूलेशन–18 / 2008 की कंडिका (4–Advertisement Norms) का उल्लंघन किया जा रहा है। अतएव संबद्ध अध्ययन संस्थाओं द्वारा समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से किए जाने वाले संस्था के प्रचार के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी संस्था के विज्ञापन देते समय में कोई भी ऐसा विवरण न दें जो कि विद्यार्थियों को भ्रमित करता हो। **"सर्वश्रेष्ठ संस्थान", "अग्रणी संस्थान"**, "एकमात्र" आदि विशेषणों का विज्ञापनों में प्रयोग विद्यार्थियों को गुमराह कर सकता है। अतः ऐसी शब्दावली का विज्ञापन अथवा संस्था के होर्डिंग्स, पोस्टर, पैम्पलेट, बैनर इत्यादि में प्रयोग सर्वथा वर्जित है। इसी तरह विज्ञापनों में छात्रवृत्ति व रोजगार गारंटी आदि के लिए मिथ्या प्रलोभन भी नहीं दिए जाने चाहिए। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर दोषी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(डॉ. मनीष माहैश्वरी)
निदेशक,
(संबद्ध अध्ययन संस्थाएं)

पृ. क्र. सं.अ.सं. / क्रमांक / 366 / 2020 दिनांक 07 / 11 / 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निज सचिव, कुलपति, कुलाधिसचिव, कुलसचिव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वेब मास्टर, विश्वविद्यालय की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।
3. सहायक प्रोग्रामर, ए.एस.आई. विभाग की ओर समस्त अध्ययन संस्थाओं को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

(डॉ. मनीष माहैश्वरी)
निदेशक,
(संबद्ध अध्ययन संस्थाएं)

बी–38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल–462011 , फोन : (0755) 4058194, 4291628, फैक्स : 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal-4
62011, Phone-(0755) 4058194, 4291628, Fax : 2551641 website – www.mcu.ac.in